समक्ष :माननीय ए. एल. बहरी और वी. के. बाली, न्यायमूर्ति

श्री दौलत राम,-याचिकाकर्ता,

बनाम

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, चंडीगढ़, एक और,-उत्तरदाता।

1991 की सिविल रिट याचिका संख्या 17287

25 फरवरी, 1992

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद *226* और *227-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-* धारा 25 (एच)-श्रम *न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के छंटनी के* आदेश *को बरकरार रखा,-11* सितंबर, 1982 *के निर्णय के माध्यम से-इसके* बाद *प्रतिवादी ने 4 पदों को भरने का फैसला किया-मांग नोटिस के बावजूद याचिकाकर्ता को* नियुक्त नहीं *किया-31 सितंबर, 1990 को श्रम न्यायालय का निर्णय -* धारा 25 *(एच) के तहत पद पर याचिका के दावे को अस्वीकार करते हुए-क्या श्रम न्यायालय के* पिछले *निर्णय को चुनौती दी गई थी और अंतिम रूप से न्यायिक रूप से संचालित किया गया था-* यह अभिनिर्धारित किया गया *कि कर्मचारी के पुनर्नियुक्ति के अधिकार का छंटनी के आदेश की वैधता से कोई संबंध नहीं है-श्रम न्यायालय का विवादित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता है।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि *न्यायिक* निर्णय का वह सिद्धांत जहां तक श्रम न्यायालय द्वारा पारित 11 सितंबर, 1982 के

निर्णय का संबंध है, मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, जो केवल पारित छंटनी के आदेश की वैधता से संबंधित है।उस आदेश की याचिकाकर्ता द्वारा समीक्षा नहीं की जा रही है जब उसने नई रिक्तियों के कारण पुनः नियोजन के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एच) के तहत राहत के लिए दूसरी बार श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।जिस कर्मचारी की छंटनी की गई है, उसके पुनर्नियुक्ति के अधिकार का छंटनी के आदेश की वैधता से कोई संबंध नहीं है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कर्मचारी को हटा दिया गया था।तभी वह पुनर्नियुक्ति का दावा कर सकता है। विवादित में श्रम न्यायालय पुरस्कार संलग्नक पी/II, इस प्रकार, कानूनी स्थिति की गलत धारणा थी/उपरोक्त आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(अनुच्छेद 3)

आर. एल. चोपड़ा, अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता की ओर से।*

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता राजेश *खुराना के साथ अधिवक्ता संजय मजीठिया।*

एम. सी. बेरी, डी. ए. *जी. पंजाब, प्रतिवादी* संख्या 1 के लिए।

निर्णय

ए. एल. बहरी, न्यायमूर्ति (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता दौलत राम को भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा 1972 में चपरासी-सह-कुक के रूप में नियुक्त किया गया था।अगस्त 1973 में उन्हें चपरासी के रूप में

पुष्टि की गई।पुष्टिकरण पत्र की प्रति संलग्नक पी/2 है। अप्रैल 1981 में उन्हें सेवा से हटा दिया गया-आदेश संलग्नक पी/3 के अनुसार। छंटनी को चुनौती देते हुए मामला श्रम अदालत में ले जाया गया। याचिकाकर्ता असफल रहा। श्रम न्यायालय का निर्णय 11 सितंबर, 1982 को दिया गया था। 1986 में प्रतिवादी संख्या 2, रेड क्रॉस सोसायटी ने चपरासियों के चार पदों को भरने का फैसला किया। याचिकाकर्ता ने 22 जुलाई, 1986 को संलग्नक पी/4 पर एक मांग नोटिस दिया, जिसमें सोसायटी से उसे चपरासी के पदों में से एक पर फिर से नियुक्त करने का आह्वान किया गया। सोसायटी सहमत नहीं था। एक औद्योगिक विवाद में इस मामले को फिर से श्रम न्यायालय में ले जाया गया। श्रम न्यायालय ने याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करते हुए 3 दिसंबर, 1990 को अनुबंध पी/II को आदेश दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय संलग्नक पी/ III के निर्णय को रद्द करने के लिए इस रिट याचिका में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(2) याचिकाकर्ता का दावा है कि छंटनी के बाद उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एच) के प्रावधानों को देखते हुए खाली होने वाले पद या बाद में बनाए जा रहे नए पद पर फिर से नियुक्त किया जाना था। सोसायटी/प्रत्यर्थी संख्या 2 का रुख यह है कि श्रम न्यायालय के पिछले निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है और यह अंतिम निर्णय के रूप में कार्य करता है। श्रम न्यायालय द्वारा विवादित पुरस्कार संलग्नक पी/I में भी यह अभिनिर्धारित किया गया था।

(3) पार्टियों के वकील सुनने के बाद, हमारी राय है कि इस याचिका में योग्यता है। जहां तक श्रम न्यायालय द्वारा पारित 11 सितंबर, 1982 के निर्णय का संबंध है, न्यायिक निर्णय का सिद्धांत मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, जो केवल पारित छंटनी के आदेश की वैधता से संबंधित है। उस आदेश की याचिकाकर्ता द्वारा समीक्षा नहीं की जा रही है जब उसने औद्योगिक अधिनियम की धारा 25 (एच) के तहत राहत के लिए दूसरी बार श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

(4) नई रिक्तियों के होने के कारण पुनः नियोजन के लिए विवाद अधिनियम। जिस कर्मचारी की छंटनी की गई है, उसके पुनर्नियुक्ति के अधिकार का छंटनी के आदेश की वैधता से कोई संबंध नहीं है।ऐसा माना जाता है कि कर्मचारी को हटा दिया गया था। केवल तभी वह पुनर्नियुक्ति का दावा कर सकता है।इस प्रकार, श्रम न्यायालय ने आक्षेपित पुरस्कार संलग्नक पी/I में कानूनी स्थिति के बारे में गलत धारणा बनाई थी और उपरोक्त आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(5) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को शुरू में चपरासी-सह-कुक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो पद अब 1986 में भरे गए हैं, वे केवल चपरासी के लिए थे और याचिकाकर्ता को समायोजित नहीं किया जा सकता था। इस तर्क को फिर से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।| आदेश संलग्नक पी/II इंगित करता है कि याचिकाकर्ता की पुष्टि चपरासी के पद पर की गई थी। हो सकता है, शुरुआत में उन्हें चपरासी-सह-कुक के पद पर नियुक्त किया

गया था, लेकिन जब उनकी छंटनी की गई, तो वे चपरासी के रूप में काम कर रहे थे, जो कि छंटनी के आदेश अनुलग्नक पी/3 से भी स्पष्ट है। यह प्रतिवादी पर छोड़ दिया गया है कि याचिकाकर्ता को किस नौकरी पर रखा जाए लेकिन इतना कहना पर्याप्त है। चपरासी के रूप में पुष्टि होने के बाद, वह चपरासी के पद पर पुनः नियोजित होने का हकदार है।

(6) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, 3 दिसंबर 1990 का निर्णय अनुबंध पी/III रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादी नंबर 2 को याचिकाकर्ता को अप्रैल, 1986 से चपरासी के पद पर फिर से नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है, जब अंतिम व्यक्ति को तब होने वाली रिक्तियों के खिलाफ चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को सभी बकाया वेतन और सेवा के अन्य लाभों का भुगतान किया जाएगा। यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी सोसायटी दो महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त निर्देशों का पालन करेगी। रिट याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

जे एस टी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और

कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन

प्रशिक्षु न्यायिक

अधिकारी,

गुरुग्राम, हरियाणा ।